

**बीए-जेएमसी, एमए-जेएमसी, छह माह सर्टिफिकेट, एकवर्षीय डिप्लोमा एवं एकवर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्य-योजनाओं की शुल्क संरचना**

क्र.सं.	विवरण	आवृत्ति	पाठ्य-योजना				
			बीए-जेएमसी शुल्क (रुपये)	एमए-जेएमसी शुल्क (रुपये)	छः माह सर्टिफिकेट (स्ववित्तपोषी) शुल्क (रुपये)	एकवर्षीय डिप्लोमा (स्ववित्तपोषी) शुल्क (रुपये)	एकवर्षीय पीजी डिप्लोमा (स्ववित्तपोषी) शुल्क (रुपये)
1.	प्रवेश शुल्क	एक बार में	2000	3000	2000	2000	3000
2.	विद्यार्थी धरोहर राशि	एक बार में (वापसी योग्य)	2000	2000	2000	2000	2000
3.	कम्प्यूटर लैब शुल्क	एक बार में	1000	1000	1000 *	1000 **	1000***
4.	स्टूडियो शुल्क	एक बार में, उपलब्धता की स्थिति में	1000	1500	-----	-----	-----
5.	पहचान पत्र शुल्क	प्रतिवर्ष	100	100	100	100	100
6.	विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान	प्रतिवर्ष	100	100	100	100	100
7.	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	प्रतिवर्ष	100	100	-----	-----	-----
8.	छात्र संघ चुनाव शुल्क	प्रतिवर्ष	200	200	-----	-----	-----
9.	क्रीडा शुल्क	प्रतिवर्ष उपलब्धता की स्थिति में	200	200	-----	-----	-----
10.	शिक्षण शुल्क	प्रति सैमेस्टर	3000	5000	8000	8000	8000
11.	पुस्तकालय शुल्क	प्रति सैमेस्टर	200	200	200	200	200
12.	परीक्षा शुल्क	प्रति सैमेस्टर	500	500	500	500	500
13.	अंतर विभागीय शुल्क	आवश्यकतानुसार	-----	100	-----	-----	-----
14.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	आवश्यकतानुसार	500	500	500	500	500
15.	अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	आवश्यकतानुसार	500	500	500	500	500
16.	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	आवश्यकतानुसार	200	200	200	200	200
17.	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	100	100	100	100	100
18.	चरित्र प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	50	50	50	50	50
19.	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20.	प्रकाशन शुल्क	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21.	विषय परिषद शुल्क	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22.	विकास कोष शुल्क	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23.	पार्किंग शुल्क	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\* सर्टिफिकेट इन विडियो एडिटिंग पर लागू। \*\* डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड ऐनिमेशन पर लागू।

\*\*\* पीजी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पीजी डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पर लागू।

## शिक्षण शुल्क / अन्य शुल्क की छूट संबंधी प्रावधान

1. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों की छात्राओं/महिलाओं से, स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों को क्रीडा एवं स्टूडियो शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
3. ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता / अविभावक आयकरदाता नहीं हैं और वे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के हैं और ऐसे भी विद्यार्थी जो गैर आयकरदाता पूर्व-सैन्य जवानों के पालित हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
4. ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पालित/ आश्रित (या जो स्वयं पूर्व रक्षा कर्मचारी हैं) जो 1962 के नेफा / लदाख ऑपरेशन और 1971 के भारत-पाक युद्ध में या तो स्थायी तौर पर अक्षम या शहीद हो गए, उन्हें शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते कि –
  - i. वह परिवार राजस्थान में स्थायी तौर पर बस गया हो,
  - ii. परिवार को 400 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा की पेंशन न मिल रही हो, तथा
  - iii. क्षेत्र में कार्यरत संबंधित कमांडिंग अफसर से प्रमाणपत्र की नकल प्रस्तुत करे।
5. जो विद्यार्थी विशेष योग्यजन / दिव्यांग हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क से छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें कम से कम कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित और मेडिकल अफसर से सह हस्ताक्षरित स्थायी विशेष योग्यजन / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. दृष्टि शक्ति और श्रव्य शक्ति से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा और शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
7. स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शहीदों के पालितों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा (शहीद राजस्थान के स्थायी निवासी रहे हों)।

टिप्पणियाँ

  - i. कोई अन्य शुल्क जो यहाँ वर्णित नहीं हैं, कुलपति की अनुमति के बगैर, नहीं वसूले जा सकते।
  - ii. विश्वविद्यालय छोड़ने के तीन अकादमिक वर्ष के भीतर सभी जमा राशि जब्त मानी जाएगी।
  - iii. विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता के कार्यालय द्वारा निर्गत "विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा फॉर्म" सभी विद्यार्थियों को भरना अनिवार्य होगा।  
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।